संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 सीतापुर द्वारा जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सीतापुर–हरदोई मार्ग (राजमार्ग सं0 330 डी) किमी0 0 से 40 के मध्य कुल किमी0 40 की दूरी में मार्ग का 2 लेन पेब्डसोल्डर, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण सीतापुर रेंज के अर्न्तगत कि0मी0 0.0 से 12 तक दिनांक–28.06.2022 को एवं मिश्रिख रेंज अर्न्तगत कि0मा0 12 से 40 दिनांक–16.07.2022 से 22.07.2022 तक वन विभाग के साथ किया गया। संयुक्त निरीक्षक प्रस्तावक विभाग के श्री अक्षय कुमार सहायक इंजीनियर डावरी मोड दिल्ली द्वारा, श्री दीपक कुमार सहायक इंजीनियर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सीतापुर एवं मिश्रिख सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर द्वारा किया गया।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1–सीतापुर–हरदोई मार्ग (राजमार्ग–सं0 330 डी) कि0मी0 0.00 से कि0मी0 38.853 के मध्य कुल 38.853 की दूरी में मार्ग चौडीकरण से प्रभावित भूमि उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति सं0–1115/14–331–50, दिनांक–10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित हैं। मार्ग चौडीकरण कार्य 28.707 हें0 वन भूमि को वनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित हैं।

2–प्रस्तावित मार्ग चौडीकरण में बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूची संलग्न है।

3–प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया है, मार्ग चौडीकरण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4–भू स्वामित्व विभाग लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि परमार्ग चौडीकरण से प्रभावित भूमि 28.707 हे0 भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी, निवास नहीं कर रहें, तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हैं।

5– प्रस्तावित मार्ग के चौडीकरण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) क्षेत्रफल 28.707 हे0 के अतिरिक्त अन्य काई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मॉग न्यूनतम है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी सीतापुर	क्षेत्रीय वनाधिकारी मिश्रिख	अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लो0नि0वि0 कानपुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सीतापुर
19.07.2022